

5 धनी मशहूर कवि व पूर्व रागी जी अपनी कविताओं के प्रागृति लाने का प्रयास करते सादर नमन! — डा. हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री



किसानों को देशद्रोही कहने वाला और उसका मजाक उड़ाने वाला देश भक्त नहीं हो सकता।

— प्रियंका गांधी वाड़ा, कांग्रेस महासचिव

नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 11 फरवरी • 2021

राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com

राज्य ग्रेनो की फिल्म सिटी : राजू श्रीवास्तव

संघीय होगी। फिल्म लिए प्रदेश सरकार बहुत प्रश्न के उत्तर में उन्होंने फिल्म सिटी अपनी सरकार मुम्बई की

फिल्म सिटी व एक साथ के कलाकारों को रा मौका

स्थानीय भाषाओं फिल्मों पर 50 दी व अन्य ने वाली फिल्मों त अनुदान देगी

छीन रही है। कलाकार मिलेंगे वहां पर अपनी

कलाकारों के रोजगार कहा कि अब यहां के आदि शहरों में धक्के

खाने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश में कलाकारों की कमी नहीं है, उन्हें अभी तक अपनी योग्यता दर्शाने को मौका ही नहीं मिला था। मुम्बई जैसे महंगे शहर में रुकना आसान नहीं है।

उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का निर्णय लेने से पूर्व गोरखपुर, बनारस समेत अन्य शहरों में भी जमीन की तलाश की गई थी लेकिन कहीं जमीन नहीं तो कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी। अंत में यमुना प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जहां फिल्म सिटी बनेगी वहां पर एयरपोर्ट, मेट्रो, बुलेट ट्रेन के अलावा सड़क मार्ग बहुत हैं। उन्होंने बताया कि यहां पर साफ

सुधरी फिल्में बनेंगी। कमर्शियल फिल्मों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। स्तरीय फिल्में बनेंगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्थानीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों पर 50 प्रतिशत अनुदान देती है। हिन्दी व अन्य



ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का निरीक्षण करते उग्र फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव। साथ हैं यमुना प्राधिकरण के सीईओ डा. अरुणवीर सिंह व अन्य। फोटो : एसएनबी

भाषाओं में फिल्म बनाने पर 25 प्रतिशत अनुदान मिलता है। इसके नियम बने हैं। फिल्म अनुदान में वेव सीरीज व टीवी सीरियल शामिल नहीं हैं। ओटीटी पर सेंसरशिप नहीं है। वेव सीरीज को सेंसर के अंतर्गत लाने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं।

इसके लिए जरूरत हुई तो सेंसर बोर्ड का यहां एक कार्यालय खोला जा सकता है। इस मौके पर यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, एसीईओ रविंद्र सिंह व ओएसडी शैलेंद्र भाटिया मौजूद थे।

10 महीने बाद खुले की संख्या रही आधी



तापमान के बाद ताल के हर खुश धिकारी

संजय उपाध्याय ने बताया कि जिले के उच्च प्राथमिक स्कूलों में पहले दिन आठवीं की पढ़ाई शुरू हुई। चारों ब्लॉक के स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाओं में बच्चे पहुंचे हैं। पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही। बच्चे स्कूल पहुंचे तो वे पढ़ाई के प्रति काफी खुश दिखाई दिए। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छात्र-छात्राओं की संख्या स्कूलों में बढ़ेगी।

■ रबूपुरा (एसएनबी)। म्याना गांव निवासी किसान कृष्ण सिंह के ट्यूबवेल में रखे इंजन को मंगलवार रात चोर उठा ले गए। सुबह खेतों पर पहुंचने पर किसान को इंजन चोरी होने का पता चला। पीड़ित ने रबूपुरा पुलिस से शिकायत की है। म्याना गांव निवासी किसान कृष्ण सिंह ने गांव के नजदीक स्थित अपने खेतों पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर इंजन लगाया हुआ है। मंगलवार को चोर इंजन चोरी कर ले गए।

बिक्री सूचना

एस.आर. फोइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड (परिसमापन में)

(सीआईएन : ५२४२४६डीएल१९७५एलसी०८८६३३)

कृष्णश्याम अग्रवाल और दिवाना शरिला २०१६ के अधीन चिकी

एस.आर. फोइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड की आस्तियों का समनुदेशन कार्पोरेट देनदार की आस्तियां "जैसी हैं जहां है, जो है जहां है तथा अन्य कोई उत्पन्न नहीं आधार" पर बेची जा रही हैं।

निवेशकों से परिसमापन प्रक्रिया विनियमावली, २०१६ के विनियम ३१ए के तहत एस.आर. फोइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड की "नॉट रेकॉर्डेड रिजल्टिंगल असेट्स" के समनुदेशन हेतु ऑफर्स आमंत्रित हैं।

आस्तियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : प्लॉट एरिया लगभग ५७.९३५ वर्ग मीटर, एस.पी.-२६(ए) एवं एस.पी.-२६(बी), औद्योगिक क्षेत्र, सोतानाला, जिला अलवर, राजस्थान जिसमें उसके ऊपर निर्मित भवन (नो) तथा सम्पूर्ण प्लॉट एवं मशीनरी शामिल है, के संक्षेप में सभी अधिकारों और हितों का समनुदेशन, रीको द्वारा इसके बकाया रु. ५३,२९,७८९/- हेतु निरस्त आबंधन हेतु भूकचने के अधिकार सहित और विषयगत-आस्तियों के स्वामित्व हेतु सभी अनुवर्ती अधिकारों के साथ।

अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया वेबसाइट www.arck.in पर प्रकाशित दस्तावेज देखें।

सम्पर्क व्यक्ति - श्री हिमांशु गुप्ता (९५८२१४७८६४)

अभिलेख की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि: ०३.०३.२०२१

श्री अनिल कोहली

परिसमापक : एस.आर. फोइल्स एंड टिश्यू लिमिटेड

आईसीजीआई पंजी. सं.: IBB/PA-001/FP-P00112/2017-2018/10210

पता : ४०९, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-११०००१

स्थान : नई दिल्ली फोन: ०११-४५१०११११ | ई-मेल: Insolvency@arck.in